

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janjatikalyan@Gmail.com

पत्रांक

/ज.जा.क./स्थाना0/2025-26

दिनांक 10/6/2025

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री बालम सिंह, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय जोशीमठ चमोली को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठाकन संख्या C-1354 /ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2025-26 तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. उप कोषाधिकारी जोशीमठ चमोली/खटीमा ऊधमसिंह नगर।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक